हुक्म की तालीम में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अ०सं० 2, 22, 33 के रजि० सम्मन रसीद मूल वाद में पेश। अप्रार्थी 2, 22 व 33 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे। तीन बार रुक रुक कर आवाज लगाई गई लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः अप्रार्थी 2, 22 व 33 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। आर्ग० प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। धारा - 212 RT Act के प्रार्थना पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न तीन बिन्दुओं पर परखना आवश्यक है:-

प्रकरण प्रथम दृष्टया :- आर्म० प्रार्थीगण द्वारा बहस प्रा० पत्र के दौरान प्रा० पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रा० पत्र के मद क्रम 2 वर्णित आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है जिसमें Hindu succession act के अनुसार प्रार्थीगण का नोशनल शेयर जन्म से निहित है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है। 1/2 भाग पर कब्जा भी प्रार्थीगण का है।

आर्ग० प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम कोहड़ी तहसील पिंडवाड़ा की जमाबंदी संवत 2047-50 के अनुसार मद क्रम 2 में अंकित आराजी पुरासिंह, के पुत्रों - इन्द्रसिंह, परबतसिंह, चैनासिंह, किशनसिंह की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। सशपथ पेश सजरे के अनुसार परबतसिंह पुत्र पुरासिंह के दो पुत्र - विक्रमसिंह व बालूसिंह है। विक्रमसिंह (फौत) के एक बेवा हेमकुंवर बाई, पुत्री अनुराधा कुंवर एवं पुत्र श्यामसिंह (फौत) है। प्रार्थीगण द्वारा सशपथ यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी [illegible] भंवरसिंह द्वारा क्रय कर अपने 04 [illegible] के खाते [illegible] कराई थी प्रार्थी क्रम 1 हेमकुंवर बाई [illegible] अप्रार्थी 1 की आराजी में उसके जीवनकाल में कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी क्रम 2 का अपने दादा अप्रार्थी क्रम 1 परबतसिंह की पैतृक आराजी में Hindu

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:34:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

Succession Act 1956 (संशोधित अधिनियम 2005) की धारा 6 एवं 20 के अनुसार जन्म से ही Notional अंश निहित माना जावेगा। अप्रार्थी 1 की आराजी में मृतक विक्रमसिंह का Notional share 1/5 होगा क्योंकि अप्रार्थी क्रम 1 के दो पुत्र एवं दो पुत्रियां (मनोरव बाई व मांगीबाई है) है। प्रार्थीगण द्वारा गलत सजरा पेश किया गया है। सजरे में अप्रार्थी 1 परबतसिंह की दोनो पुत्रियो का अंकन नहीं किया गया है। मृतक विक्रमसिंह के एक पुत्री- प्रार्थी 2 एवं एक पुत्र श्यामसिंह है इस तथ्य को भी प्रार्थीगण द्वारा छुपाया गया है। श्यामसिंह का फौत होना ज्ञाहिर होता है। श्यामसिंह या उसके वारिसान प्रकरण में पक्षकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम कोटड़ी के खाता सं0 251 किता 6 रकबा 2.9594 hec के 1/10 भाग (1/2×1/5), खाता सं0 253 किता 1 रकबा 2.5293 hec के 1/20 भाग (1/4×1/5), खाता सं0 258 किता 2 रकबा 0.2276 hec के 1/5 भाग, व खाता सं0 259 किता 1 रकबा 1.9981 hec के 1/5 भाग प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- आर्थी0 प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थी 1 ने वादग्रस्त पैतृक आराजी में कुछ भूमि पूर्व में ही अपने दूसरे पुत्र बालूसिंह को दान/बेचान कर दी है और शेष भूमि के भी दान/बेचान की धमकी दे रहा है। यदि अप्रार्थी 1 ने अपनी पैतृक आराजी के सम्पूर्ण भाग का बेचान या दान किया तो आर्थी [illegible] तो केवल अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित [illegible] पड़ेगा। बल्कि भरण पोषण के लिए भी [illegible] अतः सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। [illegible] भूमि पर कब्जा भी प्रार्थीगण का है।

के Notional share के हद तक प्रकरण प्रथम दृष्टया वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। खाता सं0 329 व 613 के अवलोकन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:34:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	...अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त भूमि अपने द्वितीय पुत्र बालूसिंह व उसकी पत्नि को दान या बेचान की है हालांकि यह तथ्य साबित नहीं है। ग्राम कोटड़ी की आराजी खाता सं० 251, 253, 258, व 259 प्रार्थी क्रम 2 की पैतृक आराजी होने से, अप्रार्थी 1 केवल अपने हक व अधिकार तक ही बेचान/दान/हकत्याग आदि कर सकता है। पैतृक आराजी में से प्रार्थी क्रम 2 के Notional share का बेचान नहीं कर सकता है और यदि ऐसा करता है, तो अस्थाई व्यादेश जारी करने पर प्रार्थीगण को अधिक सुविधा होगी। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। (स) अपूरणीय क्षति :- प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी 1, अपने हिस्से की शेष सम्पूर्ण भूमि का बेचान/दान करता है तो पैतृक आराजी में अपने Notional share तक प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम कोटड़ी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी खाता सं० 251, 253, 258 व 259 में केवल हिस्से क्रमशः 1/10, 1/20, 1/5 व 1/5 तक अप्रार्थी क्रम 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] पाबंद किया जाता है कि [illegible] के Notional share का [illegible] बेचान, दान या अन्य अन्तरण नहीं करें। प्रार्थीगण का प्रा० पत्र आंशिकतः स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:34:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner